

सीमांत पटवारी रिपोर्ट  
 पन्ना जिला व उमरगाँव जिला के खाता सं. 148, 348, 416 में जमारा हा नाम वीरम सिंह  
 पुत्र वीजा पं. हैं जबकि खातेदार या ~~जमाबंदी~~ किरासत से वीरम सिंह रावत पुत्र वीजा पं.  
 पुत्र हुआ था परंतु वर्तमान राजस्व र. में जमाबंदी नाम वीरम सिंह पुत्र वीजा पं. हैं जबकि  
 खातेदार या जमाबंदी नाम वीरम सिंह पुत्र वीजा पं. हैं। ऊक्त खातेदार या नाम शुद्ध वीरम सिंह  
 रावत पुत्र वीजा पं. होने जाते हेतु पेश हैं।

*[Signature]*  
 प. ज. ज. ज.

सीमांत भू अभिलेख निरीक्षक की जाँच रिपोर्ट  
 खाता सं. 148, 348, 416 में किरासत में खातेदार का नाम  
 वीरम सिंह / वीजा पं. हुआ है खातेदार के पहचान दस्तावेजों के आधार  
 में वीरम सिंह (Veeram Singh) / वीजा पं. नामांकित होगा।

9/11/25  
 11/10/25

तहसीलदार की रिपोर्ट  
 मुताबिक रिपोर्ट पटवारी *[Signature]*  
 तहसीलदार (भू. अ.) नसीराबाद

2025  
 690  
 क्रमांक / 409

प्रभारी अधिकारी "ग्रामीण सेवा शिविर-2025"

दिनांक:- 15/10/25

आदेश

उपरोक्त प्रार्थियों ने मेरे समक्ष उपस्थित होकर उपरोक्त प्रकार से अभिलेख में दुरुस्ती हेतु निवेदन किया गया है एवं इस दुरुस्ती को करने हेतु सहमति लिखित में दी है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट एवं भू. अभिलेख निरीक्षक की जाँच रिपोर्ट व तहसीलदार नसीराबाद की अनुशंषा अनुसार राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम *[Signature]* तहसील नसीराबाद की जमाबंदी सम्वत् *[Signature]* के खाता संख्या 148, 348, 416 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टी को निम्नलिखित रूप में शुद्ध किया जाकर राजस्व रेकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं।

क्र. सं.	पूर्व इन्द्राज का विवरण			स्वीकृत किया गया नया इन्द्राज		
	खातेदार का विवरण	खसरा नम्बर	रकबा	खातेदार का विवरण	खसरा नम्बर	रकबा
1)	वीरम सिंह पुत्र वीजा पं. क्षेत्र 85	उपरोक्त पं. के अनुसार		1) वीरम सिंह रावत पुत्र वीजा पं. क्षेत्र 85	उपरोक्त पं. के अनुसार	

क्रमांक - 5711-12

दिनांक - 15/10/25

- ① TDRMSD का मतलब
- ② आदेश पत्रा!

*[Signature]*  
 प्रभारी अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी  
 नसीराबाद, जिला अजमेर

